न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 1277–एक/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–9–10 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 117/2007–08/निगरानी.

———

नारायणदास पुत्र भागीरथ,
निवासी ग्राम विसवारी तहसील मिहोना,
जिला भिण्ड म.प्र. ———— आवेदक

विरूद्ध

1– रामकिशोर दास चेला राचरण दास जाति वैरागी
निवासी पचपेड़ तिराहा लहार, जिला भिण्ड म.प्र.
2– गोविंद दास
पुत्रगण भागीरथ प्रसाद
निवासी पचपेड़ तिराहा लहार, जिला भिण्ड म.प्र.
3– श्रीमती ममता पत्नी स्व. श्री गोपाल दास
निवांसी पचपेड़ तिराहा वार्ड कं. 1 लहार, जिला भिण्ड म.प्र.
4– मोहनस्वरूप पुत्र श्री नारायण दास
निवासी ग्राम विसवारी तहसील मिहोना
जिला भिण्ड म.प्र. ———— अनावेदकगण

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा ।
अनावेदक कं. 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री एस. के. अवस्थी ।
अनावेदक कं. 4 की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 07, मई 2015 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 117/2007–08/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 03.9.10 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य विस्तार से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में

उल्लिखित हैं । इसलिए पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है ।

4/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त के आदेश को विधिसम्मत बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं उनके परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । यह प्रकरण नामांतरण का होकर नामांतरण के संबंध में कार्यवाही लंबित रही इसी बीच वंदोवस्त कार्यवाही प्रारंभ होकर प्रकरण सहायक बंदोवस्त अधिकारी को अंतरित हुआ और बंदोवस्त कार्यवाही समाप्त होने पर पुनः तहसील में प्रकरण आया । एक कार्यवाही विचारित रहते हुए राजस्व निरीक्षक ने नामांतरण पंजी पर नामांतरण किया । उनका आदेश क्षेत्राधिकार रहित, अकृत व शून्वत है क्योंकि जब एक बार नामांतरण कार्यवाही तहसील न्यायालय में प्रचलित थी तब उसके विरूद्ध उन्हें कोई आदेश देने का अधिकार नहीं था और ना ही नामांतरण आदेश को पुनरावलोकन करने की कोई कार्यवाही की जा सकती है । अपर आयुक्त ने यह माना है कि दुरभिसंधि, कपटपूर्ण कार्यवाही होने से राजस्व निरीक्षक की कार्यवाही अकृत व शून्यवत है और इस संबंध में 1986 आर.एन. 369, 1980 आर. एन. 548 का उल्लेख किया है । प्रश्नाधीन प्रकरण में राजस्व निरीक्षक को आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है इस विधिक स्थिति के विपरीत जिलाध्यक्ष ने आदेश दिए थे जिसे अपर आयुक्त ने निरस्त करते हुए पुनरीक्षण स्वीकार कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है । अपर आयुक्त का आदेश प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए पूर्णतया विधिसम्मत, उचित और न्यायिक है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर